# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—राहुल कुमार मल्हौत्रा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 98/2020** **दायर दिनांकः 06/08/2020**

**उनवान**

1— दुर्गाशंकर आयु 34 वर्ष पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण

2— त्रिलोक आयु 28 वर्ष पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण

3— कृष्णा आयु 32 वर्ष पुत्री रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासीगण काचरा तह० अटरू जिला बारां (राज०)

**वादीगण**

**बनाम**

1— रमेशचन्द आयु 61 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी काचरा पोस्ट काचरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

2— शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0,क्ट0**
**बाबत् खातेदारी घोषणा**

उपस्थितिः—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर ।
प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान तिवारी ।

**आदेश** दिनाकः 16/09/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम एवं माल काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज) में खाता संख्या 196 के ख०न० 1056 का रकबा 0.18 है०, ख0न0 1061 का रकबा 2.50 है०, ख०न0 1062 का रकबा 1.01 है०, ख0न0 359 का रकबा 0.29 है०, ख०न0 384 का रकबा 0.01 है० गै०मु० चबूतरा, ख०न0 385 का रकबा 0.01 है० गै0मु० चबूतरा, ख0न0 386 का रकबा 0.19 है० बीड़, ख०न० 411 का रकबा 0.48 है० बीड़, ख0न0 937 का रकबा 1.82 है० चाही—2, ख0न 937/1100 का रकबा 0.01 है० गै0मु० चाह कुल किता 10 का रकबा 6.50 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाता हैं। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 196 नक्शा ट्रेस कार पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 13:04:15 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 की पैतृक सम्पत्ति हैं जिसमें वादीगण का हिस्सा नोशनल शोयर से 1/4–1/4–1/4 बनता हैं तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 बनता हैं। उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का जन्म से ही हिस्सा एवं अधिकार हैं तथा प्रतिवादी क्रम 1 आराजी को जबरन बैचान करने पर आमादा हैं। यदि आराजी का बैचान कर दिया तो वादीगण को उनके हिस्से 1/4–1/4–1/4 की आराजी से वंचित होना पड़ेगा। जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मेरमाचाह की प्रति साथ में संलग्न हैं। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं अगर प्रतिवादी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहा और वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी को रहन, बैचान एवं हस्तान्तरण कर दिया तो वादीगण को आराजी में चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी इस वजह से वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 पारित की जावें कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण को हिस्सा 1/4–1/4–1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें जिसके वादीगण अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बारां को धारा 80 सी०पीसी० का विधिक नोटिस प्रेषित कर दिया हैं परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी खाते दर्ज होने के कारण आराजी को बेचान करने पर आमादा है इसलिए मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80 (2) सीपी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। जिसे दर्ज कर नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 11/07/2020 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी बैचान करने की धमकी देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 22–07–2020 को आराजी वादीगण के खाते दर्ज करवाने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हैं। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल काचरा पटवार मण्ड़ल मेरमाचाह तह० अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू से कृषि ऋण ले रखा हैं इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 पक्षकार बनाया गया हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा उक्त वाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 13:04:15 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी की घोषणा का होने की वजह से उक्त वाद में तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 3 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 पारित की जावें किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी वाके ग्राम एवं माल काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 196 के कुल किता 10 का रकबा 6.50 है० आराजी पर वादीगण को हिस्सा 1/4–1/4–1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य राजीनामा हो गया है। अब किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नही रहा है। खाता संख्या 196 कुल किता 10 का रकबा 6.50 है0 आराजी ग्राम व माल काचरा में से वादीगण का हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4 रहेगा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 रहेगा। खाता संख्या 196 की कुल किता 10 का रकबा 6.50 है0 आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने यह राजीनामा स्वेच्छा पूर्वक पेश किया। मुताबिक राजीनामा वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाने में किसी को कोई आपत्ति नही है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि खाता संख्या 196 कुल किता 10 का रकबा 6.50 है0 आराजी ग्राम काचरा में वादीगण का हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4 रहेगा इसी बात को लेकर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य राजीनामा हो गया है। जो तस्दीक फरमाया जावें।

राजीनामा पढकर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान बद्रीलाल धाकड एड. व प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री भगवान तिवारी एड. द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 13:04:15 IST
Reason: SelfAttested

आराजी ग्राम काचरा की खाता संख्या 196 किता 10 रकबा 6.50 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। पूर्व में भूमि वादीगण के दादाजी बजरंगलाल के खाते की थी जो प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण के पिता के खाते दर्ज है। उक्त भूमि पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

**:: —क्रियात्मक आदेश—::**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम काचरा खाता संख्या 196 किता 10 रकबा 6.50 है0 में वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4, 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा रहन का नोट SBI अटरू खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्याायालय में सुनाया गया ।

**(राहुल कुमार मल्होत्रा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 13:04:15 IST
Reason: SelfAttested

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**
**<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>**
**बइजलास. श्री राहुल कुमार मल्हौत्रा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 98/2020**

**उनवान**

1— दुर्गाशंकर आयु 34 वर्ष पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राहमण।

2— त्रिलोक आयु 28 वर्ष पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राहमण।

3— कृष्णा आयु 32 वर्ष पुत्री रमेशचन्द जाति ब्राहमण निवासीगण काचरा तह० अटरू जिला बारां (राज०)

**वादीगण**

**बनाम**

1— रमेशचन्द आयु 61 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी काचरा पोष्ट काचरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

2— शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

**प्रतिवादीगण**

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0</u>**
**<u>बाबत् खातेदारी घोषणा</u>**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ............X................. रूबरू...............X...............................

**बहाजिर :—**

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान तिवारी।
मिनजानित मुदई रूबरू ...........................................................................X................................................

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम काचरा खाता संख्या 196 किता 10 रकबा 6.50 है0 में वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4, 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा रहन का नोट SBI अटरू खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(राहुल कुमार मल्हौत्रा)
**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

निज ..................X...................... मुबालिक ................X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X........................................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..............X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.09.2020 को जारी किया गया।

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

| **मुदई** | | **मुदालयह** | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 13:04:15 IST
Reason: SelfAttested